

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 461] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 6, 1979/कार्तिक 15, 1901
No. 461] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 6, 1979/KARTIKA 15, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग
संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1979

आयकर

का. आ. 641(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम आयकर (अष्टम संशोधन) नियम, 1979 है।

2. आयकर नियम, 1962 के नियम 67 के उपनियम (2) में, खण्ड (5) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु जहां कोई धन डाक घर (सावधि जमा) नियम, 1970 के अनुसार किए गए निक्षेप के परिपक्व होने पर प्राप्त किया जाता है वहां ऐसे धन का अधिक से अधिक पचास प्रतिशत डाकघर (सावधि जमा) नियम, 1970 के अनुसार निक्षिप्त किया जा सकेगा और अधिक से अधिक पचास प्रतिशत केन्द्रीय सरकार विशेष निक्षेप योजना में निक्षिप्त किया जा सकेगा।”

[फा. सं. 142(18)/78-टी.पी.एल.]

एस. एन. शेन्डे, सचिव
केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड

MINISTRY OF FINANCE
(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 1979

INCOME-TAX

S.O. 641(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. These rules may be called the Income-tax (Eighth Amendment) Rules, 1979.
2. In rule 67 of the Income-tax Rules, 1962, in sub-rule (2), after clause (iv) and before the Explanation the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that where any moneys are received on the maturity of deposits made in accordance with the Post Office (Time Deposits) Rules, 1970, an amount not exceeding fifty per cent. of such moneys may be deposited in accordance with the Post Office (Time Deposits) Rules, 1970, and an amount not exceeding fifty per cent. of such moneys may be deposited in Central Government Special Deposit Scheme.”.

[No. 3060/F. No. 142(18)/78-TPL]

S. N. SHENDE, Secy.,
Central Board of Direct Taxes